



भारत सरकार/Govt. Of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग/Ministry of Finance, Dept. of Revenue

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क

Office of The Pr. Commissioner, CGST &amp; Central Excise

मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, जयपुर, राज. -302005

HQ:NCRB, Statue Circle, C-Scheme, Jaipur-302005 (Raj.)

फोन न. 0141-2385104

प्रशासन शाखा

ई-मेल : commr-cexjpr@nic.in

फा.स. ADM/SAP/2/2020-ADMN/3268

दिनांक : 14/10/2024

नोटिस बोर्ड,  
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय,  
एन.सी.आर.बी, स्टेच्यू सर्किल,  
जयपुर।

**विषय : Quotation for Disposal of Scrap/E-waste/Old Office Records-reg.**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एन.सी.आर.बी स्थित मुख्यालय कार्यालय भवन में निस्तारण योग्य पुराना फर्नीचर, स्क्रैप, ई-वेस्ट एवं रिकॉर्ड रखा हुआ है जिसकी सूची निम्नानुसार है :-

स्क्रैप		
क्रम सं.	सामग्री का नाम	संख्या
01.	कुर्सियां (रिवोल्विंग)	15
02.	कुर्सी विजिटर	16
03.	टेबल	04
04.	अलमारी (लोहे की )	03
05.	लोहे की छोटी रेक	02

ई-वेस्ट		
क्रम सं.	सामग्री का नाम	संख्या
01.	एयर कंडीशनर- स्पलिट	03
02.	एयर कंडीशनर-विंडो	02
03.	एयर कंडीशनर- आऊटर	07
04.	प्रिंटर	08
05.	फोटो कोपी मशीन	07
06.	यू.पी.एस	30
07.	की-बोर्ड	30
08.	माईक	8
09.	मोनिटर	10
10.	सी.पी.यू (बड़ा साईज)	02
11.	सी.पी.यू (छोटा साईज)	16

अतः प्रतिष्ठित इच्छुक फर्मों से अनुरोध है कि वे एन.सी.आर.बी स्थित मुख्यालय कार्यालय भवन में पीछे की और पार्किंग एरिया के पास रखे उपरोक्त कबाड़ को क्रय करने हेतु अपनी दरें दिनांक **18.10.2024** (वार -शुक्रवार)

तक सील बंद लिफाफे में प्रशासनिक अधिकारी (मु.), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित करने का श्रम करें।

उक्त कोटेशन में भाग लेने हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

01. फर्म के पास ई-वेस्ट के निस्तारण का लाईसेन्स होना आवश्यक है एवं कोटेशन के साथ उक्त लाईसेंस की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
02. उक्त सभी सामग्री का निस्तारण एक ही फर्म के द्वारा किया जाएगा। अतः कोटेशन में कुल सामग्री की उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।
03. उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म की जिम्मेदारी होगी कि कार्यालय से नकारा सामग्री को अपने स्तर पर उठाकर निस्तारण करे। इसके लिये फर्म को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
04. नकारा सामग्री को उठाने के समय किसी भी प्रकार की घटना (जैसे मजदूरों के चोट लगने या कोई अन्य अप्रिय घटना) के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
05. उच्चतम बोली स्वीकृति के पश्चात संबंधित फर्म को कार्य आदेश प्राप्त होने के दो दिवस के भीतर नकारा सामग्री को कार्यालय से उठाना अनिवार्य होगा।
06. नकारा सामग्री के निस्तारण का कार्य आदेश प्राप्त करने के पश्चात फर्म को GAR-16 फॉर्म के द्वारा कोटेशन में अंकित राशि बैंक में जमा करवा कर रसीद कार्यालय में जमा करवानी होगी। रसीद जमा करवाने के पश्चात ही नकारा सामग्री हेतु गेट पास जारी किया जाएगा।

Signed by  
Rajesh Agarwalla  
Date: 14-10-2024 17:55:41  
(राजेश अग्रवाला)  
सहायक आयुक्त (प्रशा.)